विभागीय अधिसूचना क0 9(42) रेवे–6/08/18 दि0 29.7.2008 का हिन्दी रूपान्तरण।

**राजस्थान सरकार**
**राजस्व (ग्रुप–6) विभाग**

क्रमांक प0:–9(42)राज–6/08/ 11 जयपुर,दिनांक:– 20.1.2009

**::अधिसूचना::**

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 ( 1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं और अन्य लोकोपयोगी भवनों के संनिर्माण के लिए अनधिभुक्त सरकारी कृषि भूमि के आवंटन से संबधित इस विभाग के आदेश सं0 एफ 5(109) रेवे/बी/60 दिनांक 20.7.1963 में ,इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:–

संशोधन

उक्त आदेश में,–

1. खण्ड 2 में विद्यमान उप–खण्ड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित नये उप–खण्ड जोड़ें जायेंगे, अर्थात:–

| | |
|---|---|
| "(न) रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक द्वारा पशु अस्पताल की स्थापना के लिए | 1620 वर्गमीटर |
| (प) पशु चिकित्सा सहायक द्वारा पशु डिस्पेंसरी (कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र) की स्थापना के लिए | 486 वर्गमीटर |

2. खण्ड 3 के उप–खण्ड (ii) के विद्यमान अन्तिम परन्तुक के पश्चात् , निम्नलिखित नया परन्तुक अन्त: स्थापित किया जायेगा, अर्थात:–

" परन्तु यह भी कि खण्ड 2 के उप–खण्ड (न) या (प) में वर्णित प्रयोजन के लिए भूमि के आवंटन की दशा में कोई प्रीमियम प्रभारित नही किया जायेगा। "

3. खण्ड 4 के विद्यमान उप–खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:–

" (ii) खण्ड 2 के उप–खण्ड (ख) (ग), (ड), (ट), (न) और (प) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए अधिकतम विहित क्षेत्र तक आंवटन अधिकारिता रखने वाले कलक्टर द्वारा"

विद्यमान खण्ड 4–क के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड 4–ख अन्त:स्थापित किया जायेगा:–" 4–ख, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन.– खण्ड 2, 3 और 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी , विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर कलक्टर द्वारा निजी विनिधानकर्ताओं को ग्रामीण और पिछडें क्षेत्रों में नये प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिये निम्नलिखित शर्तो पर भूमि आंवटित की जा सकेगी, अर्थात:–

(i) कि आवंटन , तीस वर्ष की कालावधि के लिए, या जब तक विद्यालय विद्यमान रहता है, इन्हें से जो भी पहले हो, पट्टाधृति आधार पर किया जायेगा, पट्टा ऐसी और कालावधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा जो राज्य सरकार विनिश्चत करे,

(ii)कि इस खण्ड के अधीन किये गये आवंटन के लिये कोई प्रीमियम प्रभारित नहीं किया जायेगा